पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अवशेष से बरकत चाहने का हुक्म

﴿ حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ﴾

[हिन्दी - **Hindi** - هندي]

अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह

अनुवादः **अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ﴾

« باللغة الهندية »

سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ़्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अवशेष से बरकत चाहने का हुक्म

प्रश्नः

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अवशेष और चिन्हों से तबर्रूक लेने (बरकत चाहने) जैसे कि मस्जिदे नबवी शरीफ वगैरा में दीवारों और दरवाज़ों पर हाथ फेरने का क्या हुक्म है ?

उत्तरः

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अवशेष उदाहरण के तौर पर आप के वुज़ू के पानी, आप के कपड़े, खाने, पेय, बाल और आप की हर चीज़ से तबर्रूक लेना आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समय काल में परंपरागत और प्रचलित था, तथा अब्बासी खुलफा और उन के बाद उसमानी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कपड़े को उस से बरकत तलब करने के लिए सुरक्षित कर के रखते थे विशेषकर युद्धो और लड़ाईयों में।

जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पवित्र शरीर को स्पर्श करके अलग होने वाली चीज़ों जैसे कि वुज़ू का पानी, या पसीना, या बाल, या इसी तरह की अन्य चीज़ों से तबर्रूक लेने का प्रश्न है तो यह चीज़ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और सच्चाई के साथ उन की पैरवी करने वालों के यहाँ यह चीज़ परंपरागत और जाइज़ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें इस पर स्वीकृति प्रदान की है।

किन्तु जहाँ तक मस्जिदे हराम (मक्का मुकर्रमा में) या मस्जिदे नबवी (मदीना में) दरवाज़ों, दीवारों और खिड़कियों और इसी तरह की अन्य चीज़ों को छूने (उन पर हाथ फेरने) का संबंध है तो यह बिद्अत है इस का (इस्लाम धर्म में) कोई आधार नहीं है, और इन को परित्याग करना अनिवार्य है इसलिए कि इबादतें तौक़ीफी हैं उन में से केवल वही जाइज़ (वैध) है जिसे शरीअत ने स्वीकृति दी हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "जिस ने हमारे इस धर्म में कोई ऐसी चीज़ निकाली जो धर्म से नहीं है तो वह मर्दूद (अस्वीकृत) है।" (सहीह बुखारी एंव सहीह मुस्लिम)

तथा मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत में है कि : "जिस ने कोई ऐसा काम किया जिस पर हमारा आदेश नहीं है तो वह काम मर्दूद (अस्वीकृत) है।" (सहीह मुस्लिम)

तथा सहीह मुस्लिम में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्हों ने कहा कि : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जुमुआ के दिन अपने भाषण (खुत्बा) में कहा करते थे कि : "हम्द व सलात के बाद : सर्वश्रेष्ठ बात अल्लाह की किताब है, सब से बेहतरीन तरीक़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तरीक़ा है, और सब से बुरी बात धर्म में नयी ईजाद कर ली गई चीज़ें हैं, और धर्म में हर नयी ईजाद कर ली गई चीज़ (अर्थात बिद्अत) गुमराही है।" और इस अर्थ की हदीसें और भी बहुत हैं। अतः मुसलमानों पर अनिवार्य है कि केवल उसी चीज़ की पाबन्दी करें जिसे अल्लाह तआला ने निर्धारित और धर्म संगत कर दिया है जैसे कि हज्रे अस्वद (खाना काबा में काले पत्थर) को छूना और उसे चुंबन करना, तथा रुक्ने यमानी (खाना काबा के यमनी कोने) को छूना।

इसीलिए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से प्रमाणित है कि उन्हों ने हज्रे अस्वद को चुंबन करते समय फरमाया : "मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, तू न लाभ पहुँचा सकता और न हानि पहुँचा सकता है, यदि यह बात न होती कि मैं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तुझे चुंबन करते हुये देखा है, तो तुझे न चूमता।"

इस से ज्ञात होता है कि काबा के बाक़ी कोनों, तथा बाक़ी दीवारों और खम्भों को छूना धर्म संगत और वैध नहीं है क्योंकि नबी

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा नहीं किया है, और न ही आप ने उस की ओर मार्गदर्शन किया है, और तथा इसलिए भी कि यह शिर्क के साधनों में से है। इसी प्रकार दीवारों, खम्भों और खिड़कियों, तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुज्रा शरीफ की दीवारों को छूना तो और भी जाइज़ नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस को धर्म संगत नहीं किया है, न उस के करने का प्रस्ताव दिया है, और न ही इसे आप के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किया है।

समाहतुश्शैख अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह की किताब "मजमूअ फतावा व मक़ालात मुतनौविआ" ९/१०६.